अधिकार और अधिकार आधारित सोच

अधिकार क्या है?

किसी व्यक्ति के लिए एक सम्मानित जीवन जीने की न्यूनतम स्थितियां/हक़। निम्नलिखित धारणाएंः

- एक प्राधिकार जो इन न्यूनतम स्थितियों को व्याख्यायित करता है।
- यह मानना कि प्रत्येक व्यक्ति इन न्यूनतम स्थितियों का लाभ नहीं उठा पाता
- अंतरों–उल्लंघन और अधिकारों की अनापूर्ति को पहचानने के लिए एक व्यवस्था तंत्र
- एक व्यवस्था जो अंतरों को दूर कर सके और न्याय प्रदान कर सके।

प्राधिकरण

- अनिवार्यतः संविधान, कानून अथवा मान्यता प्राप्त रीति में बताए जाएं।
- अनिवार्यतः अंतर्राष्ट्रीय समझौतों तथा संधियों के माध्यम से उभरकर सामने आएं।

ज़िम्मेदारी

- राज्य द्वारा संरक्षित होने ही चाहिए।
- राज्य द्वारा उन्हें सक्षम बनाने वाली स्थितियां अनिवार्य रूप से मुहैया कराई जानी चाहिए।
- कर्त्तव्य निर्वाहकों के रूप में उनमें अपने कर्त्तव्य पालन की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, अधिकार धारकों को भी स्थितियों की ज़रूरत होती है।
- कर्त्तव्य निर्वाहकों को उत्तरदायी बनाने के लिए अधिकारों का दावा और मांग किया जाना ज़रूरी है।

अधिकारों की विशेषताएं

- अधिकार सार्वभौम होते हैं (सभी के लिए; सदैव प्रत्येक के लिए)
- समानता और भेदभावहीनताः सभी व्यक्ति एक इंसान के रूप में समान हैं और अपनी वि"ोषता में प्रत्येक मनुष्य को विरासत में सम्मान प्राप्त होता है।
- अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता (उन्हें वापस अथवा ठुकराया नहीं जा सकता)
- भागीदारी एक मौलिक अधिकार है (प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का हक़ होता है)
- अधिकार व्यक्तिगत और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं (कुछ वि"ोष्ट अधिकारों से इंकार का अर्थ है दूसरों के सम्मान की उपेक्षा करना)
- अधिकार हमें, अगर कुछ अपूर्ण रह गया हो तो बिना किसी उपकार या मुआवजे की याचना किए, आव"यक होने पर उनकी मांग करने के लिए समर्थ बनाते हैं।
- अधिकार मानवीय सम्मान से जुड़े होते हैं और हरेक और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की एक व्यवस्था और अधिकारों की स्वीकार्यता व्यक्ति के आत्मवि"वास को बढ़ाती है।

भारत में स्वास्थ्य अधिकारों के स्रोत

- भारतीय संविधान–अनुच्छेद 14,15,16,21,39,42,47

- भारतीय कानून–भा.दं.संहिता की धाराएं, बाल विवाह प्रतिषेध अधि., एम.टी.पी. एक्ट, पी.सी.पी.एन.डी. टी.एक्ट, आदि।
- नीतियां– राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय महिला स"ाक्तिकरण नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय युवा नीति आदि।
- कार्यक्रम–आर.सी.एच. कार्यक्रम, अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम
- अंतर्राष्ट्रीय कानून एवंसमझौते–स्वास्थ्य अधिकार(आई.सी.ई.एस.सी.आर.), सीडॉ, आई.सी.पी.डी., पी.ओ. ए.।

अधिकार आधारित सोच

निम्न के द्वारा कार्यक्रमों की प्रभाव"ाीलता को बढ़ाने और सतत्ताको मज़बूत करने के लक्ष्यः

- मूलभूत कारणों पर आवाज़ उठाना
- बदलती नीतियां और काम करने के तरीके
- सामान्य लक्ष्यों की ओर साथ–साथ काम करना
- बदलते सत्ता संबंध

अधिकार प्रोत्साहक गतिविधियां

- अधिकार/हक़ जागरूकता
- अधिकार ि"ाक्षा–समुदाय और प्रदाता
- सामुदायिक लामबंदी/संगठन
- नेतृत्व विकास
- प्रमाण निर्मित करना–केस–स्टडीज़, प्राथमिक शोध, गौण आंकड़े आदि।
- जानकारी बांटना–ब्रीफ़िंग किट, फ़ैक्ट शीट्स, पर्चियां, नाटक
- मीडिया एडवोकेसी–प्रेस सम्मेलन, कहानियां, सुझाव, संपादकीय।

स्वास्थ्य अधिकारों को दावा

- सेवाओं की मांग करना, नियमों का सम्मान करना।
- ि"ाकायतें दर्ज कराना/ सुझाव देना।
- प्रदाताओं/प्रबंधकों/विधायकों, प्रतिवेदनों, प्रतिनिधि मंडलों, के साथ चर्चा करना।
- ि"ाकायत निवारण/मुआवजे की मांग करना
- जन सुनवाई, सामाजिक परीक्षण (ऑडिट), कानूनी कार्रवाई
- प्रत्यक्ष कार्रवाई–धरना, प्रद"ान, हड़ताल।

अधिकार आधारित सोच के अभिनेता या कार्यकर्ता

- अधिकार धारक–समुदाय (अधिकार दावाकर्ता)

- कर्त्तव्य निर्वाहक–सेवा प्रदाता, प्रबंधक, नौकर"ाह, अन्य सरकारी व्यवस्था तंत्र, अभिभावकत्व
- संस्थान–अदालतें, आयोग आदि।
- मानवाधिकारवादी पैरोकार–हम!